न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारीः—श्री दिनेश विश्नोई आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः—146/2022

प्रार्थिनी :—

श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी लच्छाराम जाति घांची
निवासी खण्डप तहसील समदडी

बनाम

विप्रार्थीगण :—

1. कपूराराम पुत्र मिसराराम जाति घांची के कायम मुकाम
   1/1 श्रीमती सुन्दर पत्नी कपूराराम
   1/2 राजूराम पुत्र कपूराराम
2. जमनाराम पुत्र मिसराराम जाति घांची निवासी व तहसील समदडी
3. तहसीलदार समदडी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः— 1. श्री कपिल श्रीमाली वकील प्रार्थिनी

—:: आदेश ::— दिनांक :—21.07.2023

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम देवलियाली तहसील समदडी की खसरा संख्या 260/96 रकबा 17.06 बीघा विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की थी, जिसमें से 1.00 बीघा भूमि जिसका खसरा संख्या 517/96 कायम हुआ का प्रार्थी को बेचान किया एवं 0.03 बीघा भूमि, जिसका खसरा संख्या 518/96 कायम हुआ, राज्य सरकार के हक में समर्पित की। इस प्रकार बेचान एवं समर्पण के बाद विप्रार्थी संख्या 1 के में 16.03 बीघा भूमि शेष रही। किन्तु तत्कालीन हल्का पटवारी ने लिपिकीय भूल से उक्त बेचान सुदा एवं समर्पणसुदा भूमि की तरमीम खसरा संख्या 260/96 के स्थान पर विप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 264/96 में कर दी। बाद में विप्रार्थी संख्या 1 के फौत होने पर उसके वारिस रिकार्ड पा आये। अतः प्रार्थी ने उक्त भूमि की खसरा संख्या 264/96 में की गई तरमीम को निरस्त करवाते हुए खसरा संख्या 260/96 में वास्तविक स्थान पर दुरूस्त करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे।

प्रार्थिनी ने दस्तावेजी साक्ष्य में कपूराराम द्वारा किये गये बेचान की प्रति मय नक्शा, बेचान व समर्पण पूर्व की विवादित भूमि की जमाबंदी व खसरा गिरदावरी, बेचानसुदा भूमि की गलत तरमीम का नक्शा, [illegible] नाम पारित क्रयसुदा भूमि का नामान्तकरण संख्या 513, व समर्पणसुदा भूमि का [illegible]तरकरण संख्या 514 मौजा देवलियाली प्रस्तुत किये। तहसीलदार समदडी से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थिनी ने निवेदन किया कि प्रार्थिनी ने जरिये रजिस्टर्ड बेचान ग्राम देवलियाली के खसरा संख्या 260/96 रकबा 17.06 बीघा भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार विप्रार्थी संख्या 1 से 1.00 बीघा भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तथा विप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.09.08 15:25:01 IST
Reason: Self Attested

संख्या 1 ने 0.03 बीघा भूमि इसी खसरे में से राज्य सरकार के हक में समर्पित की, किन्तु लिपिकीय भूल से हल्का पटवारी द्वारा बेचानसुदा एवं समर्पणसुदा भूमि की तरमीम खसरा संख्या 260/96 के बजाय विप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 264/96 में कर दी गई। अतः प्रार्थिनी लट्ठा नक्शा में विद्यमान खसरा संख्या 264/96 में की गई तरमीम निरस्त करवाते हुए खसरा संख्या 260/96 में दुरूस्त करवाने की अधिकारिणी है।

हमने वकील प्रार्थिनी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। बेचान पत्र के अवलोकन में स्पष्ट है कि प्रार्थिनी द्वारा 1.00 बीघा भूमि जिसका खसरा संख्या 517/96 कायम हुआ, विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 260/96 में से क्रय कर इसी खसरे में काबिज हुई और उक्त क्रयसुदा एवं समर्पणसुदा भूमि का रकबा भी राजस्व रिकार्ड में खसरा संख्या 260/96 में से क्रय किया गया। किन्तु तरमीम उक्त खसरे की बजाय विप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 264/96 में कर दी गई। चूंकि विवादित भूमि एवं खसरा संख्या 264/96 का मूल खसरा संख्या 96 ही है और मूल खसरा संख्या 96 उक्त खसरों के अतिरिक्त अन्य कई खसरों में विधिक अन्तरणों के जरिये विभक्त हो चुका है। इससे स्पष्ट है कि बेचानसुदा एवं समर्पणसुदा भूमि की तरमीम किसी दुर्भावना का नहीं, बल्कि लिपिकीय त्रुटि का नतीजा है। जिसे दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थिनी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम देवलियाली तहसील समदडी के खसरा संख्या 517/96 रकबा 1.00 बीघा एवं खसरा संख्या 518/96 रकबा 0.03 बीघा (3 विस्वा) भूमि की खसरा संख्या 264/96 में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए, तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'डी' अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार समदडी द्वारा जरिये पत्र कमांक–भू.अ./2023/1125 दिनांक–17.07.2023 प्रेषित जॉच रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'डी' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 21.07.2023 सरे [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.09.08 15:25:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(दिनेश बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

...क नक्शा किश्तवार
मौजा- देवलीयाली
तहसील- समदड़ी
पैमाना- 1 इंच = 20 गट्ठा

परिशिष्ट "D"

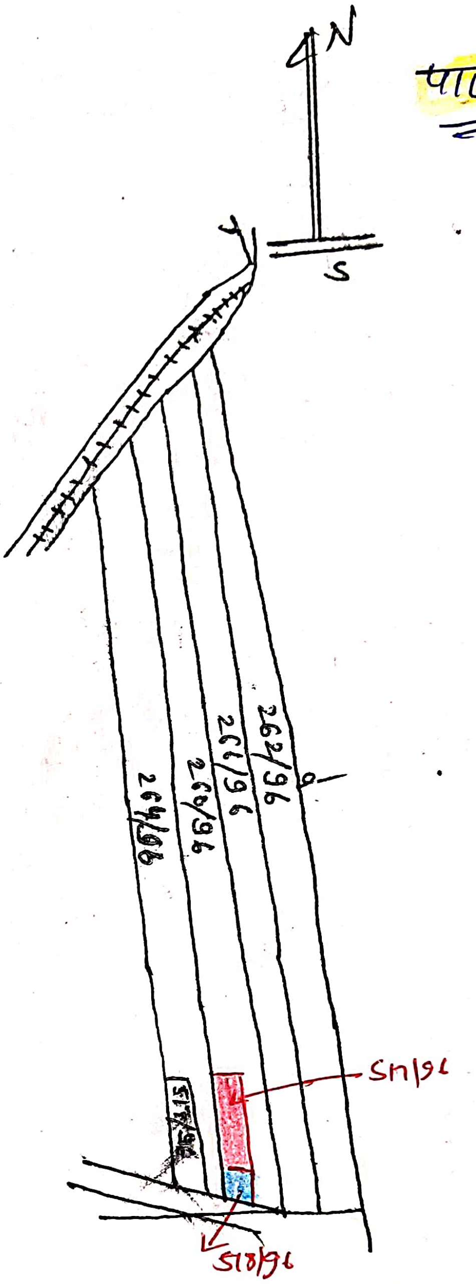

सैकर
① विजयलक्ष्मी
② स्वर्गपुरुष [illegible]

③ Excount

राजकीय प्रयोजनार्थ भरी की गई

Bhekhawat
07/07/2023
पटवारी (भू.अ.)
[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Bhekhawat
प.सिलोर

तहसीलदार (भू-अ.) समदड़ी

Signature Not Verified
Digitally Signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.09.08 15:25:01 IST
Reason: SelfAttested